O/o E.D. (EITC) CSPTCL Raipur
Receipt No. 4018
Date 03 OCT 2023
ASM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एनः– U40108CT2003SGC015820
कार्या :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./08/2023/4965 रायपुर, दिनांक 27/09/2023

(अपील पंजीयन कमांक 08, दिनांक 11.07.2023)

श्री नरेन्द्र मेहर (अधिवक्ता) अपीलार्थी
बिलासपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 27/09/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री नरेन्द्र मेहर ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (भा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 24.03.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी।	द्वितीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर विभागीय भर्ती हेतु विज्ञापन कमांक 01–04/एच.आर.–आठ/2444 दिनांक 01.10.2018 जारी किया गया, जिसके तारतम्य में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों हेतु दिनांक 27.03.2019 से दिनांक 30.03.2019 तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। लिखित परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों पर साक्षात्कार हेतु चयनित हुए थे, उनसे चयनित पदों पर नियुक्ति की वरीयता के लिये पूर्ववर्ती छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, (वर्तमान में ट्रासं. कंपनी) द्वारा Option From/Preference Form भरवाया गया था। अतः सूचना का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थी की जानकारी :–(अ) सफीना निगार (चयनित पद–प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक (मा.सं.), सहायक प्रबंधक (वित्त) (ब) मीनल पांडे (चयनित पद– सहायक प्रबंधक (मा.सं.) कल्याण अधिकारी) (स) नरसिंग कुमार साहू (चयनित पद– कल्याण अधिकारी, सहायक प्रबंधक (मा.सं.) सहायक प्रबंधक (वित्त) से लिये गये Option From/Preference Form की प्रति।
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा यह कहते हुए जानकारी नहीं दी गई है कि विभागीय भर्ती के माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका कमांक 305/2023 विचाराधीन है। दायर याचिका कमांक 305/2023 में अधोहस्ताक्षरकर्ता वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता है। अतः प्रकरण विचाराधीन होने का उल्लेख कर जानकारी नहीं दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, साथ ही यह भी विदित हो कि उल्लेखित विभागीय भर्ती प्रकिया पूर्ण हो चुकी है, जिसके पश्चात् भी जानकारी

		प्रदान नहीं की गई है। अतः अपील को स्वीकृत कर वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान करने का कष्ट करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		28.07.2023	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री आदित्य वर्मा उपस्थित हुए। उक्त तिथि को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित होने के कारण अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		20.09.2023	जनसूचना अधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्री वर्मा उपस्थित हुए।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :—		अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में धारा 5(4)(5) के तहत संबंधित प्रभाग से सहायता ली गई। संबंधित प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया कि उक्त विभागीय भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. में दायर याचिका क्रमांक 305/2023, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में सूचना दी जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। किसी न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है और सूचना न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले से प्रत्यक्ष संबंध रखती है, उसे न्यायालय से ऐसी सूचनॉए एकत्रित करने के लिए कहा जा सकता है जब वह स्वयं एक पक्ष के रूप में कार्यवाही में सम्मिलित है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नकलें व दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते है।

(3) — उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में समयांतर्गत कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर विभागीय भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए कुछ अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों पर साक्षात्कार हेतु चयनित हुए थे, उनसे चयनित पदों पर नियुक्ति की वरीयता के लिये कंपनी द्वारा **Option From/Preference Form** भरवाया गया था कि प्रति चाही गई है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह तर्कसंगत नहीं है। अतएव प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा।

जैसा कि माननीय न्यायालय में यदि कोई याचिका लंबित होने के आधार पर ही वांछित दस्तावेज की प्रति देने से इंकार करना उचित नहीं है। ऐसी जानकारी/सूचना को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है और न ही उसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना जैसी कोई स्थिति निर्मित होगी।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में उल्लेख किया गया है कि याचिका क्रमांक 305/2023 में अपीलार्थी स्वयं वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय

में विचाराधीन है का हवाला देते हुए अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

जैसा कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई दस्तावेज द्वितीय श्रेणी पदों के विभागीय भर्ती से संबंधित है। चूंकि उक्त पदों पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अतः वांछित दस्तावेज के प्रकटन से किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की नुकसान होने की संभावना नहीं है। अतएव अपीलार्थी के अपील तर्कनुसार उन्हे वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत होगा।

उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी का अपील तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यालय में उपलब्ध नस्ती/अभिलेखों के आधार पर तालिका 02 (1) में चाही गई जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराये।

उक्त निर्देश के दृष्टिगत अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

27/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771– 2574700

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./08/2023/ 4966 रायपुर, दिनांक 27/09/2023

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा0सं0)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री नरेन्द्र मेहर, अधिवक्ता, छ.ग. उच्च न्यायालय, कलेक्टर बंगला के पास, सिविल लाईन्स, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

27/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771– 2574700